उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग-1
संख्या-56/2379/14-1-2014-300(14)/2004
लखनऊ दिनांक 08 अगस्त,2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय श्री जे0के0 सिंह, भा0व0से0 (सेवानिवृत्त) को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून, 2014 को देय 300 दिन के उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकदीकरण की अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-20(बी) (1) के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

2- उक्त व्यय अनुदान संख्या:-62 के लेखा-शीर्षक-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (आयोजनेत्तर)-01-सिविल-115-छुटटी नकदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्ति के समय अवकाश का नकदीकरण-01- दिनांक 08 नवम्बर,2000 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-02- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ के नामे डाला जायेगा।

पवन कुमार
सचिव

<u>संख्या- 2379 (1)/14-1-2014-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री जे0के0 सिंह, भा0व0से0 (से0नि0) मकान नम्बर-03/241 विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद/केन्द्रीय भवन, अलीगंज लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in